# न्यायालय समक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल (म.प्र.)

निग. 3612-PBR/15 निगरानी क्र.-........../2015

माजीद खाँ
पुत्र हमीद खॉ
आयु लगभग 54 वर्ष
निवासी-ग्राम श्यामपुर
पोस्ट इस्लाम नगर बैरसिया रोड
तहसील हुजूर भोपाल ............... आवेदक

विरूद्ध (10)

(1) युनूस खाँ
पिता सलीम
आयु लगभग 32 वर्ष
(2) बानो बी
पत्नि सलीम
आयु लगभग 55 वर्ष
(3) हलीम पिता-सलीम
आयु लगभग 26 वर्ष
तीनो निवासीगण-ग्राम- श्यामपुर
पोस्ट इस्लाम नगर, बैरसिया रोड
तहसील हुजूर जिला भोपाल ................अनावेदकगण

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल
20/10/15

# निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म.प्र. भू-राजस्व सहिंता

यह कि अधीनस्थ न्यायालय नायव तहसीलदार तहसील हुजूर वृत-2 भोपाल के प्रकरण क्रमांक- 16/अ-12/13-14 में राजस्व निरीक्षक वृत्त-2 तहसील हुजूर जिला भोपाल के द्वारा दिनांक 20/01/2014 को पारित सीमांकन आदेश से दुखी एवं क्षुब्ध होकर यह ठोस तथ्यों एवं आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत है :-

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

| प्रकरण कमांक निगरानी | –पीबीआर/2015 | (माजीद/युनूस) जिला हरदा |
|---|---|---|

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 4–11–2015 | आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 20–1–14 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार के आदेश दिनांक 20–1–14 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी 20–10–15 को लगभग डेढ वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, और विलम्ब का कारण सीमांकन कार्यवाही में आवेदक को सूचना नहीं देना दर्शाया गया है। साथ ही जानकारी का स्त्रोत अनावेदकगण द्वारा आवेदक को यह बतलाना कि अनावेदकगण की भूमि पर आवेदकगण का मकान बना है, विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि डेढ वर्ष से भी अधिक समय तक सीमांकन की जानकारी आवेदक को नहीं होना व्यवहारिक रूप से उचित नहीं है। अतः विलम्ब का कारण समाधानकारक नहीं होने से यह निगरानी अवधि बाह्य प्रस्तुत किया जाना मान्य किया जाकर अग्राह्य की जाती है ।<br><br>(मनोज गोयल)<br>अध्यक्ष | |